रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2001/चैत्र 5, 1923

No. 195] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2001/CHAITRA 5, 1923

GENERAL LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 267 (अ).—करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1162(अ) तारीख 26 दिसंम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसंबर, 2000 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 60 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध कर दी गई थी :

और केन्द्रीय सरकार को प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम 2001 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमें में जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) बोर्ड से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है और जो समय-समय पर धारा 5 क के अधीन पुनर्गठित किया जाए;

(ग) "फिल्म" से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में परिभाषित कोई चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है ;

(घ) "आरोग्य प्रमाणपत्र" से पशु के स्वास्थ्य और आरोग्यता को प्रमाणित करने वाले विहित प्राधिकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी पशु चिकित्सा द्वारा अनुदत्त कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "स्वामी" से पशु का स्वामी अभिप्रेत है और जिसमें कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या सहमति के बिना हो; "स्वामित्व प्रमाणपत्र" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 42 के अधीन अनुदत्त कोई प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित प्राधिकारी" से बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;

(ज) "करतब दिखाने वाले पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जिसका किसी मनोरंजन में या उसके प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई फिल्म या घोड़ो का कार्यक्रम सम्मिलित है, जिसमें जनता आती है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984, (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है ;

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन:—(1) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रशिक्षण या प्रदर्शन का इच्छुक कोई व्यक्ति इन नियमों के आरंभ से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए बिना किसी पशु के किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

(2) किसी करतब दिखाने वाले पशु के प्रदर्शन या प्रशिक्षण का इच्छुक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पहली अनुसूची में उपवर्णित आवेदन के प्रारूप में आवेदन करेगा।

3. प्रत्येक ऐसा आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाएगा।

4. फीस और रजिस्ट्रीकरण—रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी जो या तो नगद रूप में या ऐसी अन्य रीति में सदत्त की जाएगी जिसे इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. अतिरिक्त जानकारी मंगाने की शक्ति:—(1) विहित प्राधिकारी आवेदक से उसके द्वारा दी गई विशिष्टियों की बाबत ऐसे अतिरिक्त अभिलेख और जानकारी मंगा सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

(2) यदि विहित प्राधिकारी का, करतब दिखाने और आवेदक द्वारा ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए बनाई जाने वाली पद्धति की बाबत समाधान हो जाता है तो वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसी अन्य शर्त अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ऐसे करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण और देख-रेख के लिए उचित समझे।

6. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का प्रारूप:—(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप में विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण को उस क्रम में क्रमसंख्यांक दिया जाएगा जिसमें उसको रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उपदर्शित किया जाएगा।

7. फिल्मों में करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रयोग के लिए पूर्व सूचना :—(1) किसी फिल्म को बनाने में किसी करतब दिखाने वाले पशुओं को भाड़े पर देने या उधार देने का इच्छुक प्रत्येक स्वामी, विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फारमेट में पूर्व सूचना देगा जिसमें पशु की किस्म, पशु की आयु और पशु का शारीरिक स्वास्थ्य, पशु द्वारा किए जाने वाले करतब की प्रकृति, ऐसे करतब दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु के लिए अवधि, ऐसे करतब दिखाने के लिए पशु के प्रशिक्षण की अवधि और पद्धति तथा फिल्म में ऐसे पशुओं के उपयोग का औचित्य और ऐसी अन्य जानकारी जो उस प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ किसी पशु चिकित्सक द्वार जारी किया गया एक आरोग्य प्रमाणपत्र लगा होगा, जिसमें वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आने वाले पशुओं की दशा में स्वामित्व प्रमाणपत्र के साथ पशुओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता का प्रमाणपत्र होगा।

8. रजिस्ट्रीकरण की साधारण शर्तें :—

(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय ऐसे निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और रजिस्ट्रीकरण मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करेगा, अर्थात् :—

(i) प्रत्येक स्वामी के पास, जिसके पास ऐसे करतब दिखाने वाले दस या दस से अधिक पशु है उनकी देखभाल, उपचार और परिवहन के लिए एक नियमित कर्मचारी के रूप में एक पशु चिकित्सक होगा।

(ii) स्वामी ऐसे पशुओं को लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक सड़क मार्ग से पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माप के पिंजरों के सिवाय परिवहन नहीं करेगा।

(iii) स्वामी ऐसे परिवहन के दौरान समुचित रूप से पानी पिलाने और चारा खिलाने को सुनिश्चित करेगा

(iv) स्वामी परिवहन के पश्चात् छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशुओं की बाबत चारा खिलाने और आराम करने के लिए आहतों की व्यवस्था करेगा।

(v) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को प्रशिक्षण या प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान अथवा उसके पश्चात् अनावश्यक पीड़ा या यातना न हो।

(vi) स्वामी उक्त पशु को प्रशिक्षित करने या कोई करतब दिखाने के लिए दबाव डालते हुए चारा खिलाने या पानी पिलाने से वंचित नही रखेगा।

(vii) स्वामी किसी पशु को करतब दिखाते समय इस प्रकार कार्य करवाएगा जो उसकी मूल प्राकृतिक इच्छा के अनुसार हो।

(viii) स्वामी किसी करतब दिखाने वाले पशु से कार्य नहीं करवाएगा यदि वह रुग्ण या घायल अथवा गर्भवती हो;

(ix) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी करतब दिखाने वाले पशु के आस-पास जानबूझकर कोई अचानक ऊंची आवाज में शोर न किया जाये या किसी पशु को आग के निकट न लाया जाए जिससे कि पशु डर जाए;

(x) स्वामी, उस दशा में जब किसी पशु को कृत्रिम प्रकाश के नीचे प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे प्रकाश की समग्र तीव्रता 500 ल्यूमेक्स से अधिक नहीं होगी;

(xi) स्वामी किसी पशु से ऐसा कार्य नहीं करवाएगा जिससे या तो पशु की मृत्यु हो जाए या वह घायल हो जाए या ऐसे दृश्य में पशु का उपयोग करवाए जिसमें पशु घायल हो जाए;

(xii) स्वामी, ऐसे पशुओं के किए व्यवधान युक्ति या तार अथवा गड्ढों का उपयोग नहीं करेगा;

(xiii) स्वामी, किसी पशु को या तो जलती हुई आग के सामने या आग संबंधी दुर्घटना के सामने नहीं ले जाएगा;

(xiv) स्वामी, किसी पशु को जिसके अन्तर्गत आस-पास के घोड़े भी हैं किसी दृश्य का फिल्मांकन करते समय जिसमें विस्फोटक या अन्य उंची आवाज सम्मिलित है, के निकट नहीं ले जाएगा;

(xv) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सामान जैसे भालों, नुकीली कीलें, कटीलें तारों या अन्य ऐसे सामान का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि करतब दिखाने के दौरान पशु घायल न हो जाए;

(xvi) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अश्वों को कठोर धरातल पर, नालों के बिना नहीं चलवाएगा और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं का पहाड़ी से नीचे के ढलान पर या फिसलते हुए ढलान पर स्किड और होकबूटों के बिना नहीं चलवाएगा;

(xvii) किसी अश्व का स्वामी, किसी गद्दीदार चाबुक से भिन्न किसी अन्य चाबुक का उपयोग नहीं करेगा जिसका यह साबित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण किया गया है कि वह किसी घोड़े पर नील, खरोंच या अन्य नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह इन शर्तों के अधीन रहते हुए होगा कि :

(क) चाबुक पर खड़ी हुई किनारी, सिलाई, जोड़ या फ्लैप नहीं होगा;

(ख) चाबुक का केवल अनुज्ञप्त घुड़सवार द्वारा ही उपयोग किया जाएगा;

(ग) स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगा कि चाबुक का या तो पुट्ठे पर या माथे पर अथवा पिछली ओर या पुट्ठों के नीचे पीछे की ओर से भिन्न कहीं और स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है अथवा चाबुक का कंधे की उंचाई से ऊपर उपयोग नहीं करेगा।

(घ) चाबुक का एक दौड़ में तीन से अधिक तार उपयोग नहीं किया जाएगा;

(xviii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का ऐसे फर्श पर उपयोग नहीं किया जाए जो फिसलन रहित फर्श के उपयोग के बिना बहुत चिकना हो;

(xix) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं को अधिक संख्या में घेर कर खड़ा नहीं किया जाएगा जिसके कारण पशुओं में भगदड़ मच जाए;

(xx) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को अन्य पशुओं से नहीं लड़ाया जाता है या लड़ने के लिए उकसाया नहीं जाता है और आगे यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी पशु को किसी घायल या किसी रुग्ण पशु के उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक द्वारा संवेदनाहरण के सिवाय कोई शामक औषधि या प्रशांतक या स्टेरोयेड या कोई अन्य कृत्रिम वर्धक नहीं दिया जाता है या उसके शरीर में प्रवेश नहीं कराया जाता है;

(xxi) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु का इस प्रकार परिवहन नहीं करवाया जाएगा या ऐसे पिंजरों में और अहातों में रखा या परिरुद्ध नहीं किया जाएगा, जो पशु परिवहन नियम, 1970, प्राणी उद्यान मान्यताप्राप्त नियम, 1992 या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उस प्रयोजन के लिए आदेश के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उंचाई, लंबाई या चौड़ाई का माप का न हो;

(xxii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि पशु को पर्याप्त आराम कराए बिना किसी फिल्म के फिल्मांकन में अधिक बार टेक के लिए लगातार उपयोग नहीं कराया जाएगा और किसी सांप के उपयोग किए जाने की दशा में, उसे कोई पदार्थ अन्तर्ग्रहण नहीं कराया जाएगा या तारकोल वाली या किसी अन्य गर्म सतह पर नहीं चलाया जाएगा और कृत्रिम सतह पर नहीं दौड़ाया जाएगा;

(xxiii) स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी फिल्म के फिल्मांकन में किसी पशु का उपयोग करते समय लड़ाई के दृश्य को पशुधन रखने वाले क्षेत्र में नहीं फिल्माया जाएगा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन क्षेत्र भी है और आगे यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पक्षी को पिंजरों में दर्शित नहीं किया जाता है;

(xxiv) स्वामी, विहित प्राधिकारी को कम से कम चार सप्ताह पूर्व फिल्म के वास्तविक रूप से बनाए जाने के स्थान, तारीख और समय की सूचना देगा जहां पर पशु का उपयोग किया जाता है;

(2) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण को मंजूर करने के लिए ऐसी अन्य शर्तों को भी अधिरोपित कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के संबंध में समुचित समझे।

9. रजिस्टर—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, अपना नाम एक रजिस्टर में दर्ज कराएगा जिसे तीसरी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में रखा जाएगा।

10. रजिस्टर का निरीक्षण—इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखा गया रजिस्टर बीस रुपए की फीस के संदाय पर किसी कार्यकरण दिवस को कार्य घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और कोई व्यक्ति उससे उद्धरण ले सकेगा या वह पचास रुपए की फीस के संदाय पर उसमें की किसी प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति उसे जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा।

11. रजिस्टर में प्रविष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन—इन नियमों के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार के लिए प्रत्येक आवेदन चौथी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में होगा और जब किन्हीं विशिष्टियों में फेरफार किया जाता है तो विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

12. पशु चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति जिसका इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि करतब दिखाने वाले सभी पशुओं की एक मासिक रिपोर्ट विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक आगामी मास की 7 तारीख को या उससे पूर्व विहित प्राधिकारी को पेश की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य, मृत्यु और जन्म की बाबत किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र होगा।

13. विनिर्दिष्ट करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण का प्रतिषेध—करतब दिखाने वाले पशुओं को, जिनके करतब को अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, किसी करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रशिक्षित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

14. निरीक्षण करने की शक्ति—(1) विहित प्राधिकारी, पशुओं के परिवहन की पद्धति, देखभाल और उनके रखरखाव का निरीक्षण करने के लिए या करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रशिक्षण या प्रदर्शन के समय उपस्थित रहने या किसी फिल्म को बनाने के दौरान किसी अधिकारी को तैनात कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

(2) स्वामी ऐसे अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा नहीं पहुंचाएगा और उसे सभी संभव सहायता देगा जो उसे उसका कर्त्तव्य पालन में सहायक हो।

15. निरीक्षण की रिपोर्ट—नियम 14 के अधीन तैनात किया गया अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, निरीक्षण के पश्चात् नियमों के अनुपालन और विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्त के अनुपालन की बाबत विहित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

16. ऐसे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है :—

(1) प्रत्येक पशु को, जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और इन नियमों के अधीन रहते हुए प्रदर्शित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पशु को, जिसकी बाबत नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की शर्तों और इन नियमों के अधीन रहते हुए किसी फिल्म के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी, नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त या अधिनियम के किसी उपबंध अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन की दशा में, जांच के लंबित रहने तक रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा और सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह पशुओं के कल्याण के लिए उचित समझे।

17. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रतियां जारी करना—ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, उसके द्वारा यह सबूत देने पर कि रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र गुम हो गया है या नष्ट हो गया है और सौ रुपए की फीस के संदाय करने पर इन नियमों के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेगा और उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र का है।

पहली अनुसूची

आवेदन का प्ररूप

[नियम 3(2) देखिए]

मैं, करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं और निम्नलिखित विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूरा होने की घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

पता जिस पर अनुमोदन
आदेश भेजा जाना है

————————————

————————————

विशिष्टियां

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. राज्य का नाम (यदि भारत में कोई उपयोग होता है)
3. राष्ट्रिकता
4. (क) भारत में निवास के नियत स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का पता जिस पर पत्र भेजे जा सकते हैं
5. जब दौरे पर हो अस्थाई पते से भिन्न भारत में पता या पते (यदि कोई हो), जिस पर आवेदक करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षण करता है या प्रशिक्षण करना चाहता है (यदि कोई नहीं है तो "कोई नहीं" लिखें)
6. यह कथन करें कि वह करतब दिखाने वाले पशु नियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख
7. स्वामित्व प्रमाणपत्र की प्रति यदि पशु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन एक संरक्षित जाति है
8. (i) करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की विशिष्टियां

	जाति	लिंग	आयु	संख्यांक
(क) प्रशिक्षित				
(ख) प्रदर्शित				
(ग) फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशिक्षित और प्रदर्शित				

(ii) प्रशिक्षित करतब दिखाने वाले पशु जो प्रदर्शित किये जाने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट है।

9. करतब या करतबों की प्रकृति का वर्णन जिनमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रदर्शित किया जाना है जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है जिनमें उस, उपस्कर का नाम उल्लिखित करें, जिसका करतब के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है।

स्पष्टीकरण : करतब में भाग लेने वाले पशुओं द्वारा (कौन सा करतब) किया जाना है उसका विस्तृत वर्णन, प्रशिक्षण की पद्धति और करतब दिखाने की लगभग अवधि का कथन किया जाना चाहिए। एक ही दिन में दिखाए जाने वाले करतबों की संख्या और करतब में भाग लेने वाले प्रत्येक किस्म के पशुओं की संख्या

दूसरी अनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(नियम 6 देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति जिससे नीचे उल्लिखित विशिष्टियां संबंधित हैं, के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के करतब दिखाने वाले पशु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अधीन (·· के लिए आज) रजिस्ट्रीकृत हो गया है।

रजिस्टर में क्रम संख्यांक की प्रविष्टि

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के लिपिक के हस्ताक्षर

स्थान का नाम :

तारीख :

विशिष्टियां

प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) भारत में निवास के निश्चित स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते हैं	पता या पते जिस पर करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित किया जाना है	किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री-करण की विशिष्टियां	करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की किस्म			करतब की साधारण प्रकृति का वर्णन	रजिस्ट्री-करण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
					प्रशिक्षित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशिक्षित/प्रदर्शित किए जाने वाले पशुओं की किस्म सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

तीसरी अनुसूची

रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप

(नियम 9 देखिए)

विशिष्टियां

क्र. सं.	प्रशिक्षक या प्रदर्शक का नाम	राष्ट्रिकता	या तो (क) भारत में निवास के निश्चित स्थान का पता या (ख) भारत में डाक का स्थाई पता जिस पर प्रशिक्षक या प्रदर्शक को पत्र भेजे जा सकते हैं	पता या पते जिस पर करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित किया जाना है	किसी पूर्ववर्ती रजिस्ट्री-करण की विशिष्टियां	करतब दिखाने वाले प्रस्तावित पशु की किस्म			करतब की साधारण प्रकृति का वर्णन	रजिस्ट्री-करण की तारीख	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 24 के अधीन न्यायालय के किसी आदेश की विशिष्टियां
						प्रशिक्षित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले पशु की किस्म सं.	फिल्मों में उपयोग के लिए प्रशिक्षित/प्रदर्शित किए जाने वाले पशुओं की किस्म सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

चौथी अनुसूची

रजिस्टर में प्रविष्ट विशिष्टियों के फेरफार के लिए आवेदन का प्ररूप

(नियम 11 देखिए)

आवेदक के फेरफार की बाबत रजिस्टर में विशिष्टयों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,

आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्यांक और तारीख :

मैं, इसके द्वारा करतब दिखाने वाले पशु (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को लौटाता हूं और इसके द्वारा निम्न प्रकार से फेरफार किए जाने की बाबत रजिस्टर में विशिष्टियों को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करता हूं और जिनके कारण नीचे दिये गए हैं :

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि मेरे विद्यमान प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाए और एक नया रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाणपत्र मुझे जारी कर दिया जाए।

हस्ताक्षर.....

पता.....

.....

.....

पांचवीं अनुसूची

परिवहन के लिए सुझावात्मक आकार के पिंजरे

[नियम 8(ii) देखिए]

जाति	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्लेंडर लोरिस	0.40	0.25	0.35
स्लो लोरिस	0.60	0.25	0.45
घोड़ा (पालतू/जंगली)	3.00	1.00	1.75
गधा (पालतू/जंगली)	2.25	.80	1.28
जेबरा	2.60	.95	1.80
हाथी (व्यस्क)	4.80	2.40	2.84
दरियाई घोड़ा (साधारण)	4.06	2.10	1.50
पिग्मी हिप्पो	1.52	1.00	0.74
सिवेट	0.79	.40	0.38
मैंगूज	0.56	.25	0.13
बत्तख	0.38 से 0.63	.22–0.35	.78
पाखता	0.46	0.20	0.21

छठी अनुसूची

बंधुआ पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनधारी जातियों को चारा खिलाने/सोने के घनाकारों/बाड़ों के लिए न्यूनतम विहित आकार

[नियम 8-(iv) देखिए]

जाति का नाम कुटुम्ब-फिलिडी	घनाकार/बाड़ों का आकार मीटरों में लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई
1	2	3	4
तेंदुआ	2.00	1.50	2.00
छोटी बिल्ली	1.80	1.50	1.50
कुटुम्ब-एलिफेन्टिडी			
हाथी	8.0	6.0	5.5
कुटुम्ब-राइनोसिरोटिडी			
एक सींग का भारतीय गैंडा	5.0	3.0	2.5
कुटुम्ब-कारविडी			
पर्वत भूशृंगाभ हिरण	3.0	2.0	2.5
हंगुल	3.0	2.0	2.5
अनुपी हिरण	3.0	2.0	2.5
कस्तूरी हिरण	2.5	1.5	2.0
मूषक हिरण	1.5	1.0	1.5
कुटुम्ब-बोविडी			
नीलगिरि टहर	2.5	1.5	2.0
चिंकारा	2.5	1.5	2.0
चार सींग वाला बारहसिंगा	2.5	1.5	2.0
जंगली बुरियालो	3.0	1.5	2.0
भारतीय गोर	3.0	2.0	2.5
याक	4.0	2.0	2.5
भरल, गोशल, जंगली भेड़ और मारखोर	2.5	1.5	2.0
कुटुम्ब-एक्विडी			
घोड़ा	6.0	4.0	3.0
जंगली गधा	4.0	2.0	2.5
कुटुम्ब-कैनिडी			
गीदड़, भेड़िया और जंगली कुत्ता	2.0	1.5	1.5
कुटुम्ब-विविरिडी			
ताड सिवेट	2.0	1.0	1.0
विशाल भारतीय सिवेट और बिन्दुरोग	2.0	1.5	1.0
कुटुम्ब-मस्टीलिडी			
सभी किस्म के ऊद बिलाव	2.5	1.5	1.0
चूहा/भालू सूअर	2.5	1.5	1.0
मारटेन	2.0	1.5	1.0
कुटुम्ब-प्रोसायोनिडी			
लाल पांडा	3.0	1.5	1.0
कुटुम्ब-लोरीसिडी			
स्लो लोरिस और स्लेंडर लोरिस	1.0	1.0	1.5

[फा. सं. 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2001

S.O. 267(E).— Whereas the draft **Performing Animals (Registration) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1162(E) dated the 26th December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27th December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st January, 2001;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the **Performing Animals (Registration) Rules, 2001.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** In these rules unless the context otherwise requires-

a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act ,1960 (59 of 1960).

b) "Board" means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 and as reconstituted from time to time under section 5A of the Act,

c) "film" means a cinematograph film as defined in the Cinematograph Act of 1952 (37 of 1952);

d) "fitness certificate" means a certificate granted by a veterinary doctor to be nominated by the prescribed authority certifying the health and fitness of the animal,

e) "owner" means the owner of an animal and includes any other person in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;

f) "ownership certificate" means a certificate granted under section 42 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

g) "prescribed authority" means the Board or such other authority or officer as may be authorised by the Board,

h) "performing animal" means an animal which is used at or for the purpose of any entertainment including a film or an equine event to which the public are admitted,

i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

j) "veterinary doctor" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

3 **Application for registration**- (1) Any person desirous of training or exhibiting a performing animal shall, within thirty days from the commencement of these rules, apply for registration to the prescribed authority and shall not exhibit or train any animal as a performing animal without being registered under these rules

(2) Any person desirous of exhibiting or training any performing animal shall apply for registration in the form of application set out in the **First Schedule.**

(3) Every such application shall be made to the prescribed authority.

4 **Fee and registration** - Every application for registration shall be accompanied by a fee of Rupees five hundred which may be paid either in cash or in such other manner as may be specified by the Board for this purpose

5 **Power to call for additional information-** (1) The prescribed authority may call for such additional records and information as it may deem fit from the applicant in respect of the particulars furnished by it

(2) If the prescribed authority is satisfied about the proposed performance and the method to be adopted for the training of such animals by the applicant it may grant registration

(3) The prescribed authority while granting registration may impose such other conditions, as it may deem appropriate for the training and upkeep of such performing animals.

6. **Form of certificate of registration:-** (1) The certificate of registration shall be issued by the prescribed authority in the form set out in the **Second Schedule**

(2) Every registration shall be given a serial number in a order in which it is made, and it shall be indicated in the certificate of registration.

7. **Prior information for use of performing animals in films-** (1) Every owner desirous of hiringout or lending a performing animal in the making of a film shall give prior information in the format as specified by the prescribed authority for this purpose to specifying the kind of animal, age of animal, physical health of the animal, the nature of performance to be done by the animal, the duration for which the animal shall be used for such performance, the duration and method of training of the animal for such performance and the justification for the use of such animals in the film and such other information as may be required by that authority.

(2) Every such application shall be accompanied by a fitness certificate issued by a veterinary doctor certifying the health and fitness of the animal along with a ownership certificate in case of animals covered under the Wildlife(Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

8. **General conditions for registration**:

(1) The prescribed authority while granting registration may impose such terms and conditions as it deems appropriate and shall impose the following conditions in granting registration, namely.-

i. every owner who has ten or more such performing animals shall have a veterinarian as a regular employee for their care treatment and transport.
ii. the owner shall not transport such animals by road continuously for more than 8 hours and except in cages admeasuring as specified in the **Fifth Schedule**;
iii. the owner shall ensure proper watering and feeding halts during such transportation,
iv. the owner after transportation shall provide feeding and retiring enclosures in respect of the animals specified in the **Sixth Schedule**;
v. the owner shall ensure that any animal is not inflicted unnecessary pain or suffering before or during or after its training or exhibition,
vi. the owner shall not deprive the animal of feed or water in order to compel the said animal to train or perform any trick,
vii. the owner shall train an animal as a performing animal to perform an act in accordance with its basic natural instinct,
viii. the owner shall not make a performing animal perform if it is sick or injured or pregnant,
ix. the owner shall ensure that no sudden loud noise is deliberately created within the vicinity of any performing animal or bring an animal close to fire, which may frighten the animal:

x. the owner in case the performing animal is to be exhibited under artificial light, the overall intensity of such light shall not be more than 500 LUX,

xi. the owner shall not subject the animals to any action which may either kill or injure or use the animal in scenes which may cause injury to the animals;

xii. the owner shall not use any tripping device or wires or pitfalls for such animals;

xiii. the owner shall not expose any animal to either burning fire or to fire accidents;

xiv. the owner shall not keep any animal including horses in close proximity while shooting scenes involving explosives or other loud noises;

xv. the owner shall ensure that props such as spears, nails splinters, barbed wires or other such props shall not cause injury to the animals during the performance;

xvi. the owner shall ensure that the equines are not made to walk on hard surfaces without being shoed and shall further ensure that the animals are not used in downhill slides or rodeo slide stops without proper skid and hock boots;

xvii. *the owner of any equine shall not use any whip other than an air cushioned shock absorbing whip which has been scientifically tested to prove that it will not cause weals, bruising or other damage to the horse and subject to the conditions that- (a) the whip shall not have raised binding, stitching, seam or flap. (b) the whip shall be used by licensed jockeys only. (c) the owner shall also ensure that the whip is not used other than either on the quarters in either the forehand or the backhand position or down the shoulder in the backhand position or use the whip with the arm above shoulder height. (d) the whip shall not be used more than 3 times in a race.*

xviii. the owner shall ensure that the animal is not used on floors that are very smooth without the use of non-skidding mats.

xix. the owner shall ensure that large gathering of animals is not allowed in such a way which may cause or result in stampede to the animals;

xx. the owner shall ensure that the animal is not made or incited to fight against other animals and shall further ensure that sedatives or tranquillisers or steroids or any other artificial enhancers are not administered to or inserted in any animal except the anaesthesia by a veterinary doctor for the purpose of treatment of an injured or sick animal;

xxi. the owner shall ensure that the animal shall not be transported or be kept or confined in cages and receptacles which do not measure in height, length or breadth as specified under the Transport of Animal Rules, 1978, the Recognition of Zoo Rules, 1992 or under any other Act, rule or order for this purpose;

xxii. the owner shall ensure that the animal is not continuously used for excessive number of takes in shooting a film without providing adequate rest to the animal and in the event of a snake being used it shall not be made to ingest any substances or made to crawl across tarred or any other heatened surface and shall not be contorted to wrestle;

xxiii. the owner shall ensure that while using an animal in shooting a film, the fight sequence shall not be shot in any livestock holding area including poultry area and shall further ensure that no birds are shown in cages;

xxiv. the owner shall inform the prescribed authority at least four weeks in advance informing the place, date and time of the actual making of the film wherein the animal is to be used.

(2) The prescribed authority may also impose such other conditions for the grant of registration as may be deemed appropriate to it for the welfare of animals.

9. **Register-** Every person to whom a certificate of registration is issued under these rules shall have his name entered in a register which shall be kept in the form set out in the **Third Schedule**.

10. **Inspection of register-** The register kept for the purpose of these rules shall be open to inspection during office hours on any working day on payment of a fee of twenty rupees and any person may take extract therefrom or may require the prescribed authority to issue to him a certified copy of any entry made therein on payment of a fee of fifty rupees.

11. **Application for variation of entries in register -** Every application for the variation of any particular entered in the register maintained for the purpose of these rules shall be in the form set out in the **Fourth Schedule** and when any particular is varied the existing certificate of registration shall be cancelled and a new certificate be issued.

12. **Submission of report by veterinary doctor-** Every person who has been granted registration under these rules shall ensure that a monthly report of all the performing animals in the form to be specified by the prescribed authority in respect of their health, deaths and births duly certified by a veterinary doctor is submitted to the prescribed authority on or before the 7th of every succeeding month.

13. **Prohibition on exhibition and training of specified performing animals-** Performing animals whose performance has been prohibited under sub section (2) of section 22 of the Act shall not be trained or exhibited as a performing animal.

14. **Power to inspect-** (1) The prescribed authority may depute an officer or authorise any other person, to inspect the mode of transport, care and upkeep of the animals, or to be present at the time of training or exhibition of the performing animals or during making of a film to ensure that the conditions of registration are being complied with

(2) The owner shall not obstruct the entry of such officer or authorised person and extend all possible assistance to enable him to discharge his duty.

15. **Report of inspection-**The officer deputed or person authorised under rule 14 shall after inspection submit a report to the prescribed authority about the compliance of the rules and the condition as specified by the prescribed authority.

16. **Cancellation of registration in respect of which registration has been granted:-**

1. Every animal in respect of which registration has been granted under rule 5 shall be exhibited and trained subject to the conditions of registration and these rules.
2. Every animal in respect of which registration has been granted under rule 5 shall be exhibited for a film subject to the conditions of registration and these rules.
3. The prescribed authority in the event of breach of any of the conditions of registration under rule 5 or any provision of the Act or the rules made thereunder may suspend the registration pending enquiry and after granting an opportunity of hearing revoke the registration so granted or issue such orders or directions as it may consider proper for the welfare of the animals.

17. **Issue of duplicate copies of certificate-** Any person who has been granted registration under these rules may, on proof by him that the original certificate of registration has been lost or destroyed and on payment of a fee of one hundred rupees, be given a duplicate copy of the certificate of registration which for the purposes of these rules shall have the same effect as the original certificate of registration.

FIRST SCHEDULE
Form of Application
(see rule 3 (2))

I, the undersigned, do hereby apply for registration under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 and do hereby declare the following particulars to be true and complete to the best of my knowledge and belief

Signature_____
Date_____

Address to which order of approval is to be sent

PARTICULARS

1. Full Name of applicant (in block letters)
2. State name (if any used in India)
3. Nationality
4. Either (a) address of fixed place of residence in India, and (b) the postal address in India to which letters may be forwarded

5. Address or addresses (if any) in India, other than temporary addresses while on tour, at which applicant trains or intends to train performing animals (If none, write "None")

6. State whether registered under the Performing Animals Rules, 1973 If so, State the number and date of certificate of registration.

7 Copy of ownership certificate if the animal is a protected specie under the Wildlife (Protection) Act 1972

8. (i) Particulars of performing animals proposed to be

	Species	sex	age	number
(a)	trained			
(b)	exhibited			
(c)	trained and exhibited for use in films			

(ii) Trained performing animals already available as prescribed above for being exhibited.

9. Describe the nature of the performance or Performances in which the performing animals are to be exhibited or for which they are to be trained, mentioning any apparatus which is used or to be used for the purpose of the performance

Explanation Detailed description of what is to be done by the animals taking part in the performance, method of training and should state the approximate duration of the performance, the number of performances to be given in one and the same day, and the number of animals of each kind taking part in the performance

SECOND SCHEDULE
Certificate of Registration
(see rule 6)

This is to certify that the person to whom the under-mentioned particulars relate has this day been registered under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 with the Registration Authority for the

Serial Number of Entry in Register----------

Signature of Clerk of Registration Authority

Name of the place :

Date

Particulars

Name of trainer or exhibitor	Nationality	Either(a) Address of fixed place of residence in India or (b) permanent postal address in India to which letters addressed to the trainer or exhibiter may be forwarded	Address or addresses at which the performing animals are to be trained	Particulars of any previous registration	Kind of proposed performing animal.			Description of general nature of performance	Date of Registration	Particulars of any order of Court made under section 24 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
					To be trained Kind No	To be exhibited Kind No.	To be trained/exhibited for use in films Kind No.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

933 GI/2001—3

THIRD SCHEDULE
Form of Register
(see rule 9)

Particulars

Serial No	Name of trainer of exhibitor	Nationality	Either(a) Address of fixed place of residence in India or (b) permanent postal address in India to which letters addressed to the trainer or exhibiter may be forwarded	Address or addresses at which the performing animals are to be trained	Particulars of any previous registration	Kind of proposed performing animal			Description of general nature of performance	Date of Registration	Particulars of any order of Court made under section 24 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
						To be Trained Kind No	to be exhibited Kind No.	to be trained/exhibited for use in films Kind No.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FOURTH SCHEDULE

Form of Application for Variation of Particulars Entered in Register
(see rule 11)

Application to have the particulars entered in the register with respect to the applicant varied

To

The prescribed authority,

Full Name of the applicant (in block letters)

Number and date of Certificate of Registration

I return herewith my certificate of registration under the Performing Animals (Registration) Rules, 2000 and I hereby apply to have the particulars entered in the Register with respect to be varied as follows' and the reasons given below:

I also request that my existing certificate may be cancelled and a new certificate of registration may be issued to me.

Signature _____
Address _____

FIFTH SCHEDULE

Suggestive Size of Cages for Transportation

(see rule 8 (ii))

Species	Length (m)	Breadth (m)	Height (m)
Slender loris	0.40	0.25	0.35
Slow loris	0.60	0.25	0.45
Horse (domestic/ Wild)	3.00	1.00	1.75
Ass (domestic/ Wild)	2.25	80	1.28
Zebra	2.60	95	1.80
Elephant (Adult)	4.80	2.40	2.84
Hippopotamus (Common)	4.06	2.10	1.50
Pigmy Hippo	1.52	1.00	0.74
Civet	0.79	40	0.38
Mongoose	0.56	25	0.13
Duck	0.38 to 0.63	22 – 0.35	78
Dove	0.46	0.20	0.21

SIXTH SCHEDULE

Minimum prescribed size for feeding/retiring cubicle/enclosures for important mammalian species of captive animals (see rule 8 (iv))

Name of the Species	Size of the cubicle/ enclosures in meters		
Family - Felidae	**Length**	**Breadth**	**Height**
Leopard	2.00	1.50	2.00
Small cats	1.80	1.50	1.50
Family - Elephantidae			
Elephant	8.0	6.0	5.5
Family - Rhinocerotidae			
One-horned Indian Rhinoceros	5.0	3.0	2.5
Family - Carvidae			
Brow antlered deer	3.0	2.0	2.5
Hangul	3.0	2.0	2.5
Swamp deer	3.0	2.0	2.5
Musk deer	2.5	1.5	2.0
Mouse deer	1.5	1.0	1.5
Family – Bovidae			
Nilgiri tahr	2.5	1.5	2.0
Chinkara	2.5	1.5	2.0
Four horned antelope	2.5	1.5	2.0
Wild Burrialo	3.0	1.5	2.0
Indian Bison	3 0	2.0	2.5
Yak	4.0	2.0	2.5
Bharal, goral, wild sheep and markhor	2.5	1.5	2.0
Family – Equidae			
Horses	6.0	4.0	3.0
Wild Ass	4.0	2.0	2.5
Family – Canidae			
Jackal, wolf and wild dog	2.0	1.5	1.5
Family – Vivirridae			
Palm Civet	2.0	1.0	1.0
Large Indian civet & binturong	2.0	1.5	1.0
Family- Mustellidae			
Otters all types	2.5	1.5	1.0
Rate/Hogbadger	2.5	1.5	1.0
Martens	2.0	1.5	1.0
Family – Procyonidae			
Red Panda	3.0	1.5	1.0
Family – Lorisidae			
Slow loris and slender loris	1.0	1.0	1.5

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.